न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 पूजा सक्सेना (आरएएस)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 131/2018

बृज मोहन पुत्र श्री घनश्याम जाति धाकड निवासी बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. गिरिराज पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी जगदीश के मन्दिर के पास बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 06.11.2018 निर्णय दिनांक : 06.02.2020

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.12.2018 के अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते की आराजी जमाबंदी सम्वत 2069–2072 में खाता संख्या 396 खसरा नं0 2254 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 2276 रकबा 1.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 के साथ बराबर बराबर दर्ज राजस्व रेकार्ड है। उक्त विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत से प्राप्त हुयी है जिस पर पारिवारिक विभाजन से वादी व प्रतिवादी क्रम 1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी शामलाती खाते में होने से कर्ता पिलाई व रास्ते को लेकर आये दिन विवाद होते रहते हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि वादी अपने हिस्से की आराजी को पृथक से खाते दर्ज कराकर प्रतिवादी क्रम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वादी की कब्जे की आराजी में दखलअंदाजी ना करें। अतः विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावें कि आराजी खाता संख्या 396 खसरा नं0 2254 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 2276 रकबा 1.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल में से वादी का हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 से पृथक किया जाकर पृथक से वादी के खाते दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 06.11.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से आज दिनांक तक कोई उपस्थित नही है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 असालतन या वकालतन बाजवूद विधिवत सम्मन तामीली के भी रूक–रूक कर तीन मर्तबान आवाज दिलवाने पर भी अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को एक्स पार्टी घोषित कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी

गयी। वादी सीनियर सिटीजन है। चूंकि वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 रिकॉर्डेड है एवं पृथक–पृथक सहखातेदार है। उसमें से वादी अपना हिस्सा 1/2 पृथक कराना चाहता है। बयान साक्ष्य वादी बृजमोहन पुत्र घनश्याम जाति धाकड सा0 बमोरीकलां लिये गये। जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 24.12.2018 को बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र व साक्ष्य के बयान में अंकन किया गया है। अतः मुताबिक वाद पत्र, साक्ष्य, सुनी गयी बहस की रोशनी में वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं वादी व प्रतिवादी को आराजी खाता संख्या 396 खसरा नं0 2254 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 2276 रकबा 1.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल में हिस्सा 1/2–1/2 का तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को कुल भूमि खाता संख्या 396 खसरा नं0 2254 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 2276 रकबा 1.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल में से रिकार्ड एवं मौको के हिस्से में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी हिस्सा 1/2–1/2 का बटवारां प्रस्ताव बनावें। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2019/3073 दिनांक 31.07.2019 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम बमोरीकलां जमाबन्दी सम्वत 2073–74 के अनुसार खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.93 है0, खसरा नम्बर 2276 रकबा 1.07 है0, कुल 2 किता 2.00 है0 भूमि गिरिराज पुत्र मांगीलाल हि0 1/2 बृजमोहन पुत्र घनश्याम हि0 1/2 धाकड सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी बमोरीकलां हि0 1/2 गिर्राज दर्ज है। अतः

01. बृजमोहन पुत्र घनश्याम धाकड सा0 देह के खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.46 हे0 किस्म नहरी I दक्षिणी, खसरा नम्बर 2276 रकबा 0.54 है0 किस्म नहरी I पश्चिमी कुल किता 2 रकबा 1.00 है0

02. गिरिराज पुत्र मांगीलाल धाकड सा0 देह रहन बीआरकेजीबी बमोरीकलां के खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.47 है0 किस्म नहरी I, खसरा नम्बर 2276 रकबा 0.53 है0 किस्म नहरी I कुल किता 2 रकबा 1.00 है0।

अतः तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी, प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 396 खसरा नं0 2254 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 2276 रकबा 1.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां को पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल